

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20 / m-36/nursing/ajmer-32606-7114844/ 2025 / 120

दिनांक:-10/03/2025

श्री बी०एल० स्वर्णकार, विशेषधिकारी(विधि)
एवं केस स्टैंडिंग केस प्रभारी अधिकारी,
कार्यालय जोन जोधपुर

विषय:- एस.बी.सि.रिट.पिटिशन संख्या 5448/2025 मणि देवी बनाम राजस्थान राज्य व
अन्य में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के द्वारा प्रकरण में आपको केस प्रभारी
अधिकारी नियुक्ति किया गया है, की बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1. सत्यापन के अधीन मान्य है।
2. सत्यापन के अधीन मान्य है।
3. सत्यापन के अधीन मान्य है।
4. निदेशक, अराजपत्रित चिकित्सा विभाग के समस्त नियमित अराजपत्रित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित/राज्यहित/प्रशासनिक कारणों/संस्थान की आवश्यकताओं के मध्यनजर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण भी उनके अनुसार किया गया है।
5. बिन्दु संख्या 04 में उल्लेख किया जा चुका है।
6. यथालिखित स्वीकार्य नहीं है। निदेशक, अराजपत्रित चिकित्सा विभाग के समस्त नियमित अराजपत्रित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित/राज्यहित/प्रशासनिक कारणों/संस्थान की आवश्यकताओं के मध्यनजर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण भी उनके अनुसार किया गया है।
7. विधिक बिन्दु है।
8. बिन्दु संख्या 04 एवं 06 में उल्लेख किया जा चुका है।
9. टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
10. यथालिखित मान्य है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 985/2025 दायर की गई जो कि माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2025 के द्वारा खारिज कर दी गई।

अतः उक्तानुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाकर निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर जबाबदावा तैयार कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत करने की कार्यवाही करावें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:-10/03/2025

क्रमांक:-ई-20 / m-36/nursing/ajmer-32606-7114844/ 2025 / 120

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर।
2. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
3. अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
4. रक्षित/आदेश प्रत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-03-2025 04:15:09